न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-5/2018/भीलवाड़ा

भैरू पुत्र रूपा जाति माली निवासी ग्राम रायला तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

........अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गीता देवी पत्नि माधु
2. सोहनी पत्नि रामचंद्र
3. नन्दराम पुत्र मौला
4. जगननाथ पुत्र मौला
5. प्रेमराम पुत्र मौला
6. नानूराम पुत्र मौला
7. चाउ पुत्र मोहन

समस्त जाति माली निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोडेण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा दिनांक 27.04.2017 प्रकरण संख्या 21/2017 उनवानी भैरू बनाम गीता आदि में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0:—श्री मनीष व्यास
राजकीय अभि0:—श्री आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः—28.02.2022

उक्त अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गए। रेस्पो0(1,3,4,6,7) की ओर से श्री मनीष व्यास अभिभाषक उपस्थित हुआ। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 एवं 128 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रायला के आराजी नम्बर 736 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा 741 रकबा 18 बिस्वा, 745 रकबा 4 बिस्वा, 815 रकबा 4 बिस्वा, 1491 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा स्थित है। अपीलांट व रेस्पो0 के बीच सीमा विवाद की वजह से आये दिन झगड़ा फसाद रहता है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जायें। किन्तु उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा ने अपने आदेश दिनांक 27.04.2017 के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई–

1. दोनों पक्षकारों के मध्य एक वादपत्र विचाराधीन होने से पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद के निर्णय तक स्थगित रखने का जो आदेश दिया है वह गलत है। रेस्पो0 द्वारा धारा 10 का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2. सरसरी तौर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय किया गया। अतः उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा का निर्णय दिनांक 27.04.2017 को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार किया जाये।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के निर्णय दिनांक 27.04.2017 की सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपीलांट को नहीं दी थी। अपीलांट को रेस्पो0 के माध्यम से उक्त जानकारी हुई। जिसके बाद दिनांक 02.09.2017 को निर्णय की प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 11.09.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई। दिनांक 15.12.2017 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 18:36:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई है। देरी को क्षमा किया जायें और अपील को अंदर मियाद माना जायें। उसके समर्थन में अपीलांट द्वारा एक शपथ पत्र भी दिया गया है।

एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वह विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। कब्जा उसका है। अतः उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के निर्णय दिनांक 27.04.2017 की पालना को स्थगित किया जायें। नही तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि को जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर भूमि पर काबिज हो जायेंगें। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसके समर्थन में शपथ पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट श्री मदनलाल गुर्जर द्वारा यह कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नॉनस्पीकिंग आदेश दिया गया। एक पृथक वाद विचाराधीन होने की आशंका में उक्त आदेश दिया गया। उपखण्ड अधिकारी का आदेश सजेस्टिव प्रकृति का है। पत्थरगढ़ी सीमा विवाद की समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक है। रेस्पो0 द्वारा धारा 10 सीपीसी में कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है। हम कोई टाइटल नहीं मांग रहें है तथा सीमाज्ञान से कोई टाइटल बदल नहीं रहा है। लैण्ड रिकोर्ड एक्ट वर्सेज आर टी एक्ट का मामला है। हमारी अपील स्वीकार की जायें। मौखिक बहस में रेस्पो0 के वकील मनीष व्यास के अनुसार गैर मुमकिन रास्ते को सैट्लमेंट ने अपीलांट के पिता के नाम भूमि दर्ज कर दी। जिस पर एस0डी0ओ ने स्टे दिया है। अतः अपील खारिज की जायें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 21/17 भैरूलाल बनाम गीता देवी ऑर्डरशीट दिनांक 27.04.2017 का अवलोकन किया गया। उसके अनुसार **''पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मय सूची दस्तावेजात प्रार्थी व विपक्षीगणों के पूर्वजों के नाम साबिक जमाबन्दी संवत् 2024-27 की छायाप्रती विवादित आराजीयात का मिलान खसरा, मिशल बन्दोबस्त की छायाप्रती प्रस्तुत की जिसे शामिल मिशल किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्षीगणो द्वारा पृथक से एक वादपत्र व प्रार्थना पत्र बाबत् टी0आई घोषणा दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। चूंकि समाज वादग्रस्त आराजीयात व उन्हीं पक्षकारान के मध्य दुबारा पृथक से वादपत्र व टी0आई प्रस्तुत की है। यदि उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाता है तो निश्चित रूप से विपक्षीगणों द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संभवतया होने वाले निर्णय पर असर पड़ेगा। लिहाजा मौजूदा प्रार्थना पत्र बाबत् करायें जाने पत्थरगढ़ी आराजीयात में आगे की कार्रवाही इसी स्थर पर पश्चातवृत्ति वाद 36/17 के साथ संलग्न किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।''** पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों, दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखा गया। बहस बिन्दुओं पर विचार किया गया। प्रकरण संख्या 21/17 उपखण्ड न्यायालय बनेड़ा के समक्ष एल0आर0एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रक्रियाधीन था। इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक अन्य वादपत्र राजस्थान टिनैन्सी एक्ट के तहत धारा 88,188,136 एल0आर0एक्ट के तहत 36/17 के नम्बर से दर्ज की गई थी अर्थात अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 21/17 पूर्ववर्ती प्रकरण था तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 36/17 पश्चातवर्ती प्रकरण था। दोनों ही प्रकरण अलग-अलग एक्ट के तहत दर्ज किये गये थे।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा संभवतया धारा 10 सीपीसी का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती वाद की प्रोसिडिंग को रोका गया। धारा 10 सीपीसी का अवलोकन किया गया। धारा 10 वादपत्र को रोके जाने से संबंधित है। जो कि मुख्य रूप से यह कहता है कि यदि दो पक्षकारों के मध्य समान बिन्दुओं पर समान विवाद हो तो पश्चातवर्ती प्रकरण को रोका जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्पीकिंग आदेश नहीं दिया गया है। न ही उनके द्वारा किस धारा के तहत यह निर्णय दिया गया स्पष्ट नहीं है। दोनों प्रकरण 21/17,36/17 अलग-अलग एक्ट के तहत है। इन्हें क्लब करके निर्णय नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में खसरा संख्या 815 अपीलांट के खातेदारी में है। जमाबन्दी संवत 2069-72 ग्राम रायला के अनुसार खसरा नं0 815 रकबा 0.04 बीघा गैर मुमकिन रास्ता अपीलांट के [illegible] दर्ज है। रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी के कोर्ट न्यायालय में जो जवाब प्रस्तुत किया गया है। उसके [illegible]सार [illegible]सरा न0 814 गैर मुमकिन उनके नाम दर्ज है। खसरा न0 815 गैर मुमकिन रास्ता रकबा [illegible] गलती से यह सैटलमेंट के द्वारा अपीलांट के पिता के नाम हो गया। जिसकी [illegible] (36/17) प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया, रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा इस आशंका में कि विपक्षीगण रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संभवतया होने वाले निर्णय

पर उक्त पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र के आदेश का असर पड़ सकता है। अतः उनके द्वारा पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 एल आर एक्ट क्रमांक 21/17 को पश्चातवर्ती वाद संख्या 36/17 के साथ संलग्न करते हुए प्रकरण संख्या 21/17 में कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया गया। जो कि नियमों के विरूद्ध है। रेस्पो0 द्वारा पूर्ववर्ती कार्यवाही को रोकने बाबत सक्षम धाराओं में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मगर फिर भी आशंकावश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती प्रकरण 21/17 में कार्यवाही को स्थगित करते हुए पश्चातवृत्ति प्रकरण 36/17 में क्लब कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश नॉनस्पिकिंग आदेश है तथा नियमों के विरूद्ध है। अपीलांट खातेदार होने से अपने खसरा की पत्थरगढ़ी करवा सकता है। रेस्पो0 वादपत्र के माध्यम से खसरा संबंधित विवाद की उजरदारी कर सकता है। अतः न्यायालय का यह मानना है कि उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा पत्थरगढ़ी प्रकरण संख्या 21/17 में कार्यवाही स्थगित करना विधिविरूद्ध होकर खारिज होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.04.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा बाबत प्रकरण संख्या 21/17 अन्तर्गत धारा 111,128,129 एल आर एक्ट में दिए गए स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 21/17 में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया जायें।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested